न्यायालय सं0–5

राज्य लोक सेवा अधिकरण, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

निर्देश याचिका सं0–1116/2017

रवि प्रताप सिंह, आयु लगभग 51 वर्ष, पुत्र श्री बी0आ0सिंह, निवासी–17, मारूतीपुरम, सेक्टर–के, आशियाना, कानपुर रोड, लखनऊ।

–––याची

बनाम

1– उत्तर प्रदेश राज्य व्दारा प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, विकास भवन, लखनऊ।

2– प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग,
96 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।

–––विपक्षीगण।

निर्णय

व्दारा माननीय श्रीमती अनिता राज, सदस्य (न्या0)

याची व्दारा यह याचिका राज्य लोक सेवा अधिकरण, अधिनियम 1976 की धारा–4 के अन्तर्गत आलोच्य दण्डादेश दिनॉकित 18–06–2014 (संलग्नक सं0–ए–1) जिसके व्दारा उसे परिनिन्दा प्रविष्टि के दण्ड से दण्डित किया गया है एवं आदेश दिनॉकित 25–01–2018 (संलग्नक सं0–ए–1–ए) जिसके व्दारा उक्त दण्डादेश के विरूद्ध याची व्दारा प्रस्तुत अपील निरस्त की गयी है, को खण्डित किये जाने हेतु योजित की गयी है।

2– संक्षेप में याचिका के तथ्य इस प्रकार हैं कि याची की नियुक्ति वर्ष 2001 में लोक निर्माण विभाग में अवर अभियन्ता के पद पर हुई थी। याची के अनुसार जब वह निर्माण खण्ड–4, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ में अवर अभियन्ता के पद पर तैनात था तब आदेश दिनॉकित 13–04–2012 व्दारा लखनऊ–कानपुर मार्ग से हरदोई मार्ग तक तथा हरदोई मार्ग से सीतापुर मार्ग को 02 लेन से 06 लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के निर्माण कार्य में हुई अनियमितता के आरोप में उसे सेवा से निलम्बित कर दिया गया तथा उसके विरूद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम–7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गयी जिस हेतु प्रमुख अभियन्ता (ग्रा0स0) लो0नि0वि0, लखनऊ को जॉच अधिकारी नामित किया गया। तदोपरान्त जॉच अधिकारी व्दारा याची को एक आरोप पत्र दिनॉकित 21–08–2012

(संलग्नक सं0–ए–2) निर्गत किया गया जिसमें दिनाँक 28–08–2008 से 13–04–2012 तक उसके व्दारा कराये गये निर्माण कार्य, चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण में अनियमितता सम्बन्धी कुल सात आरोप लगाये गये। याची व्दारा उक्त आरोप पत्र का उत्तर प्रस्तुत किया जिसमें उसके व्दारा आरोपों का खण्डन करते हुए समस्त वस्तुस्थिति को स्पष्ट किया गया। तदोपरान्त याची का कथन है कि जाँच अधिकारी व्दारा बिना कोई नियमानुसार जाँच किये अपनी जाँच आख्या दिनाँकित 29–07–2013 दण्डाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दी गयी जिसमें जाँच अधिकारी व्दारा याची पर लगाये गये कुल सात आरोपों में से मात्र आरोप सं0–4 को प्रमाणित पाया गया। उक्त जाँच आख्या के आधार पर दण्डाधिकारी व्दारा याची को कारण बताओ नोटिस दिनाँकित 06–02–2014 (संलग्नक सं0–ए–6) निर्गत की गयी जिसमें जाँच अधिकारी व्दारा सिद्ध पाये गये आरोप सं0–4 के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। याची व्दारा कारण बताओ नोटिस के सम्बन्ध में अपना अभ्यावेदन/स्पष्टीकरण दिनाँकित 12–02–2014 एवं अनुपूरक अभ्यावेदन 05–05–2014 दण्डाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें उसके व्दारा आरोप का खण्डन करते हुए समस्त वस्तुस्थिति को स्पष्ट किया गया। परन्तु याची के अनुसार दण्डाधिकारी व्दारा उसके स्पष्टीकरण पर बिना कोई विचार किये उसके विरूद्ध आलोच्य दण्डादेश दिनाँकित 18–06–2014 पारित कर दिया गया। उक्त दण्डादेश के विरूद्ध याची व्दारा शासन के समक्ष अपील दिनाँकत 25–09–2014 प्रस्तुत की गयी जिसका निस्तारण न होने पर याची व्दारा यह याचिका योजित की गयी। याचिका लम्बित रहने के दौरान याची की अपील को आदेश दिनाँकित 25–01–2018 व्दारा निरस्त कर दिया गया जिसे भी याचिका में संशोधन के माध्यम से निरस्त किये जाने हेतु याची व्दारा अनुरोध किया गया है।

3– विपक्षी व्दारा लिखित विवेचन दाखिल किया गया जिसमें यह कहा गया कि याची व्दारा बरती गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में उसके विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम–7 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी जिसके अन्तर्गत याची को जाँच अधिकारी व्दारा आरोप पत्र निर्गत किया गया जिसमें उस पर लखनऊ–कानपुर मार्ग से हरदोई मार्ग तक तथा हरदोई मार्ग से सीतापुर मार्ग को 02 लेन से 06 लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के निर्माण कार्य में अनियमितता बरतने तथा शासन को क्षति पहुँचाने सम्बन्धी सात आरोप लगाये गये। याची व्दारा आरोप पत्र का उत्तर प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात् जाँच अधिकारी व्दारा

नियमानुसार उसे बचाव का पूर्ण एवं पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए जाँच की कार्यवाही सम्पादित कर अपनी जॉच आख्या दण्डाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की। जाँच अधिकारी व्दारा याची पर लगाये गये लगाये गये सात आरोपों में से आरोप सं0–4 को सिद्ध पाया गया। तदोपरान्त सिद्ध पाये गये आरोप के सम्बन्ध में दण्डाधिकारी व्दारा याची को कारण बताओ नोटिस मय जाँच आख्या के निर्गत की गयी जिसका स्पष्टीकरण/अभ्यावेदन याची व्दारा दिया गया। तत्पश्चात् दण्डाधिकारी व्दारा याची के स्पष्टीकरण/अभ्यावेदन पर सम्यक् विचारोपरान्त उसके विरूद्ध आलोच्य दण्डादेश दिनाँकित 18–06–2014 पारित कर दिया गया जो पूर्णतया विधिक एवं नियमानुकूल है, जिसके पारित किये जाने में किसी नियम एवं कानून का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है और न ही कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि है। विपक्षीगण व्दारा अग्रेतर यह भी कहा गया कि याची व्दारा उक्त दण्डादेश के विरूद्ध शासन के समक्ष अपील/प्रत्यावेदन दाखिल किया गया जिसे सकारण व मुखरित आदेश दिनाँकित 25–01–2018 व्दारा निरस्त कर दिया गया। विपक्षीगण व्दारा यह भी कहा गया कि याची व्दारा यह याचिका आधारहीन तथ्यों पर योजित की गयी। अतः याचिका बलहीन है तथा निरस्त किये जाने योग्य है।

4– याची व्दारा प्रत्योत्तर शपथ पत्र दाखिल किया गया जिसमें उसके व्दारा विपक्षीगण व्दारा दाखिल लिखित विवेचन के कथनों का विरोध तथा याचिका के कथनों की पुनरावृत्ति की गयी है।

5– मेरे व्दारा याची के विव्दान अधिवक्ता तथा विपक्षीगण की ओर से उपस्थित विव्दान प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को ध्यानपूर्वक सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

6– याची के विव्दान अधिवक्ता व्दारा आलोच्य दण्डादेश 18–06–2014 को निरस्त किये जाने हेतु यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रकरण में जाँच अधिकारी व्दारा याची पर लगाये गये आरोप सं0–4 से इतर आरोप प्रमाणित पाया गया है, जिसे विधि सम्मत नहीं कहा जा सकता।

7– याची के विव्दान अधिवक्ता के उपरोक्त तर्क पर मेरे व्दारा विचार किया गया तथा प्रकरण में प्रमुख अभियन्ता (ग्रा0स0) लो0नि0वि0, लखनऊ व्दारा जाँचोपरान्त दी गयी जाँच आख्या दिनाँकित 29–07–2013 जो पत्रावली पर उपलब्ध है, का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट होता है कि जाँच अधिकारी व्दारा आरोप सं0–4 के सम्बन्ध में यह

कथन किया गया है कि *"अपचारी कर्मचारी के कार्यकाल में आर0सी0सी0 डक्ट का कार्य किमी0 1 से 8 के मध्य किया गया है। इनके व्दारा जिन स्लैब की गुणवत्ता अच्छी थी एवं विशिष्टियों के अनुरूप थीं, का ही भुगतान किया गया है एवं जिन आर0सी0सी0 स्लैब में रेक्टीफिकेशन की आवश्यकता थी उसकी मापी नहीं की गयी है। अनुबन्ध अभी रनिंग में है एवं ठेकेदार व्दारा रेक्टीफिकेशन का कार्य कराया जा रहा है। अतः जिस स्लैब की गुणवत्ता खराब थी उसका भुगतान अपचारी कर्मचारी व्दारा नहीं किया गया है। जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि अपचारी कर्मचारी की सजगता के कारण खराब कार्य का भुगतान नहीं किया गया है। जिसकी पुष्टि प्रस्तुतकर्ता अधिकारी व्दारा भी की गयी है। परन्तु कार्य के सुपरविजन में अपने दायित्वों के प्रति लापरवाही बरती गयी है। जिसके लिये अपचारी कर्मचारी दोषी है।"* जबकि याची पर आरोप सं0–4 इस आशय का था कि उसके व्दारा *"मार्ग के किनारे जो सर्विस डक्ट बनायी गयी है, उसमें जो आर0सी0सी0 के स्लैब डाले गये हैं, उनकी गुणवत्ता ठीक नहीं है। कुछ स्थानों पर स्लैब टूट गये हैं एवं बचे हुए स्लैबों में अधिकतर स्लैब में क्रैक्स आ गये हैं। किया गया कार्य खराब है।"* उपरोक्त से स्पष्ट है कि याची पर खराब कार्य कराये जाने सम्बन्धी आरोप लगाये गये थे परन्तु जाँच अधिकारी व्दारा उसे पर्यवेक्षणीय दायित्वों के प्रति लापरवाही बरते जाने का दोषी माना है। उपरोक्त के अतिरिक्त जाँच अधिकारी व्दारा यह भी कथन किया गया कि अपचारी कर्मचारी की सजगता के कारण खराब कार्य का भुगतान नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि याची पर लगाये गये आरोप से इतर जाँच अधिकारी व्दारा याची को दोषी माना है जिसे विधि सम्मत नहीं कहा जा सकता। ऐसी स्थिति में जाँच अधिकारी व्दारा दी गयी जाँच आख्या दूषित जाँच आख्या है और दूषित जाँच आख्या के आधार पर पारित दण्डादेश भी स्थिर रहने योग्य नहीं है।

8– याची के विव्दान अधिवक्ता व्दारा यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि याची ने कारण बताओ नोटिस का विस्तृत स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया था परन्तु दण्डाधिकारी व्दारा उसके किसी भी बिन्दु पर कोई अभिमत व्यक्त नहीं किया गया तथा प्रश्नगत दण्डादेश पारित कर दिया गया जिसे सकारण व मुखरित आदेश की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। अतः दण्डादेश निरस्त किये जाने योग्य है।

9– याची के विव्दान अधिवक्ता के उपरोक्त तर्क पर भी मेरे व्दारा विचार किया गया तथा आलोच्य दण्डादेश दिनाँकित 18–06–2014 का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट होता है कि दण्डाधिकारी व्दारा अपने आदेश में याची पर लगाये गये समस्त आरोपों, जाँच

अधिकारी की आख्या एवं निष्कर्ष तथा याची द्वारा दिये गये अभ्यावेदन के कथनों का उल्लेख करते हुए मात्र यह कथन किया गया है कि ***"प्रश्नगत प्रकरण में जाँच अधिकारी की जाँच आख्या, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा प्रेषित अभिलेखों, अपचारी द्वारा दिये गये बचाव बयान, जाँच आख्या के संबंध में अपचारी द्वारा प्रेषित अभ्यावेदन एवं मुख्य अभियन्ता (म0क्षे0) द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या आदि पर सम्यक विचारोपरान्त श्री रवि प्रताप सिंह को परिनिन्दित करते हुंए प्रश्नगत अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त किये जाने का निर्णय लिया गया है।"*** उक्त दण्डादेश को किसी भी स्थिति में सकारण व मुखरित आदेश की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता क्योंकि याची के स्पष्टीकरण में उठाये गये किसी भी बिन्दु पर कोई भी अभिमत दण्डाधिकारी द्वारा व्यक्त नहीं किया गया है। अतः मेरे विचार से दण्डादेश मुखरित व सकारण आदेश नहीं है जो विधि के अन्तर्गत मान्य नहीं है अतः निरस्त किये जाने योग्य है।

10– मुखरित व सकारण आदेश के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय ने **राज कुमार मेहरोत्रा बनाम बिहार सरकार व अन्य 2006 सुप्रीम कोर्ट केसेज ;एल0एण्ड एस0, 679 में** निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किया है–:

> ***"Without going into other issues raised, we are of the view that the impugned order of the respondent authority imposing punishment on the appellant cannot be sustained. Even if we assume that Rule 55-A which pertains to minor punishment was applicable and not Rule 55 which relates to major punishments, nevertheless Rule 55-A requires that the punishment prescribed therein cannot be passed unless the representation made pursuant to the show-cause notice, has been taken into consideration before the order is passed. There is nothing in the impugned order which shows that any of the several issues raised by the appellant in his answer to the show-cause notice were, in fact, considered. No reason has been given by the respondent authority for holding that the charges were proved except for the ipse dixit of the disciplinary authority. The order, therefore, cannot be sustained and must be and is set aside. "***

11– **"कारण"** और **"निष्कर्ष"** के विभेद को स्पष्ट करते हुए मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने **युनियन आफ इण्डिया बनाम मोहन लाल कपूर, (1973),2 एससीसी 836** में निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किया हैः–

> ***"Reasons are the links between the materials on which certain conclusions are based and the actual conclusions. They disclose how the mind is applied to the subject matter for a decision whether it is purely administrative or quasi-judicial. They should reveal a rational nexus between the facts considered and the conclusions reached."***

12– इसी प्रकार मा0 उच्चतम न्यायालय ने **जी0 वल्ली कुमार बनाम आन्ध्रा एजूकेशन सोसाइटी 2010 ;2, एस0सी0सी, 947** में निम्न सिद्धांत प्रतिपादित किया है–:

"that the requirement of recording reasons by every quasi judicial or even an administrative authority entrusted with the task of passing an order adversely affecting an individual and communication thereof to the affected person is one of the recognized facets of the rules of natural justice and violation thereof has the effect of vitiating the order passed by the authority concerned."

13– याची के विव्दान अधिवक्ता व्दारा यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि दण्डाधिकारी व्दारा दण्डादेश पारित करते समय मुख्य अभियन्ता (म0क्षे0) व्दारा उपलबध करायी गयी आख्या पर भी विचार किये जाने का उल्लेख किया गया है जबकि उक्त आख्या याची को प्रदान नहीं की गयी। अतः दण्डाधिकारी व्दारा याची के विरूद्ध दण्डादेश पारित करते समय वाह्य सामग्री का प्रयोग किया गया है, जिसे विधि सम्मत नहीं कहा जा सकता।

14– याची के विव्दान अधिवक्ता के उपरोक्त तर्क पर भी मेरे व्दारा विचार किया गया तथा आलोच्य दण्डादेश का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट होता है कि दण्डादेश में मुख्य अभियन्ता (म0क्षे0) व्दारा उपलबध करायी गयी आख्या पर भी विचार किये जाने का कथन किया गया है, जबकि पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि उक्त आख्या की प्रति याची को उपलब्ध करायी गयी। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि दण्डादेश पारित करते समय दण्डाधिकारी व्दारा वाह्य सामग्री का प्रयोग किया गया है जो विधि सम्मत नहीं है। अतः इस आधार पर भी आलोच्य दण्डादेश स्थिर रहने योग्य नहीं है।

उपरोक्त कारणों के आधार पर अपीलीय अधिकारी व्दारा पारित आदेश दिनॉंकित 25–01–2018 भी मेरे विचार से स्थिर रहने योग्य नहीं है। तद्नुसार याची की याचिका स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

याचिका स्वीकार की जाती है। आलोच्य दण्डादेश दिनॉंकित 18–06–2014 (संलग्नक सं0––ए–1) तथा अपीलीय आदेश दिनॉंकित 25–01–2018 (संलग्नक सं0–ए–1–ए) निरस्त किये जाते हैं। याची समस्त पारिणामिक सेवा लाभ पाने का अधिकारी है जो इन आदेशों व्दारा रोके गये हों। विपक्षीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे इस निर्णय का अनुपालन निर्णय की सत्प्रतिलिपि प्राप्त होने के तीन माह के अन्दर करना सुनिश्चित करें।

उभय पक्ष वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

ह0/–
(अनिता राज)
सदस्य (न्या0)

निर्णय आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनॉकित व उद्घोषित किया गया।

ह0/–

(अनिता राज)

सदस्य (न्या0)

दिनॉकः 18–08–2026

एच0के0आर0/पी0एस0